उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 54/2021–22

हेमलाल बेसरा एवं अन्य.....अपीलकर्त्ता

बनाम

सुरेन्द्र राय एवं अन्य.....उत्तरकारी।

आदेश

11.03.2022

यह रे0मि0 अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–147/2020–21 में पारित आदेश दिनांक–12.08.2021 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध तथ्य निम्न प्रकार है :–

मौजा–जाड़ी अंचल रामगढ़ एक प्रधानी मौजा है। मौजा का अंतिम प्रधान कुँवर राय थे, जिनकी मृत्यु दिनांक–30.01.2019 को हो चुकी है। उनके मृत्यु के पश्चात् पूर्व प्रधान के पुत्र सुरेन्द्र राय उत्तरकारी सं0–01 एवं भाई अमृत राय उत्तरकारी सं0–02 द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 एवं उत्तरकारी सं0–03 सुरेश बास्की द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत मौजा के प्रधान पद पर नियुक्त हेतु आवेदन दाखिल किया गया। मौजा के 16 आना रैयतों द्वारा उत्तरकारी के विरूद्ध आपत्ति आवेदन करने के पश्चात् भी उन्हें मौजा का प्रधान पद पर संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया। इसी नियुक्ति आदेश के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

1. उत्तरकारी द्वारा ग्रामीणों का समस्या पर कभी ध्यान नहीं देता है तथा ग्रामीण पंचायत में लिया गया निर्णय का हमेशा विरूद्ध करता है।
2. उत्तरकारी अपराधिक प्रवृत्ति का है एवं हमेशा ग्रामीणों से झगड़ा करता रहता है।
3. उनका चरित्र अच्छा नहीं एवं वह हमेशा ग्रामीण युवतियों के साथ गलत व्यवहार करता है। रामगढ़ थाना में इस संबंध में बॉण्ड भी लिखना पड़ा है।

4. प्रधान नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा खास जमीन पर अवस्थित कई फलदार वृक्ष कटहल महुँआ आदि को काट लिया गया है।

5. उनके द्वारा लगान रसीद काटने लिए सलामी लिया जाता है।

6. मौजा के 16 आना रैयत उन्हें प्रधान के रूप में नही चाहते है। इसके पश्चात् भी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उन्हें प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है जो न्याय संगत नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में अंचल अधिकारी, रामगढ़ से पत्रांक–406/रा0 दिनांक–24.05.2019 एवं पत्रांक–411/रा0 दिनांक–26.06.2021 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उल्लेख किया गया है कि मौजा के अंतिम प्रधान कुमर राय थे, जिनकी मृत्यू दिनांक–30.01.2019 को हो चुकी है। अपीलकर्त्ता सुरेन्द्र राय पूर्व प्रधान का एक मात्र पुत्र है। 16 आना रैयतों को इनके नियुक्ति के विरूद्ध कोई आपत्ति नही है। इसी आधार पर उन्हें संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

प्रावधान

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम धारा–6 :–

1. Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

2. Appointment of Pradhan-Non –Khas village-Provisions of Section 6 of the Act attracted-Office is hereditary in nature –

Next heir who is fit, is entitled to be the Headman-Sub-Divisional Officer competent to ascertain the views of Jamabandi Raiyats of the village.

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरकारी पूर्व प्रधान के एक मात्र पुत्र एवं उत्तराधिकारी है। उनका प्रधान पद पर संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत दावा बनता है। फलस्वरूप अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उन्हें मौजा का प्रधान पद धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है, जो सही प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों एवं प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश आदेश सही प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.06 11:57:32 +05:30
Location: 169.254.227.244